

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 0612-2231562, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in

सं०सं०-नि०प्रा०/नि०1-73/2009 - 387

/पटना, दिनांक

21 मई, 2009

प्रेषक,

एन० एस० माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)।

सभी नोडल पदाधिकारी।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी-सह-उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)।

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी।

सभी निर्वाचन पदाधिकारी।

विषय : पैक्स निर्वाचन, 2009-मतपत्रों के परिकल्प के निर्धारण एवं उनके मुद्रण के संबंध में।

महाशय,

बिहार निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पैक्स चुनाव में प्रयुक्त किये जाने वाले मतपत्र एवं उसके प्रतिपण के परिकल्प के संबंध में राज्य निर्वाचन प्राधिकार का निम्नांकित निर्णय संसूचित किया जाता है -

- (1) मतपत्रों का मुद्रण जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। इस हेतु वे निम्नलिखित सुविधाओं से युक्त प्रिंटिंग प्रेसों का चयन करेंगे-
 - (i) वेबसेट प्रिंटिंग मशीन
 - (ii) चाहरदीवारी या चारों तरफ से सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था
 - (iii) प्रेस मालिक जो मतपत्रों के मुद्रण के दौरान अपने प्रेस को जिला प्रशासन के अधीन रखने हेतु सहमत हों, अर्थात् इस अवधि में मतपत्रों का मुद्रण छोड़कर कोई अन्य बाहरी कार्य नहीं किया जायेगा।
- (2) पंचायत आम चुनाव, 2006 के समय पंचायती राज विभाग द्वारा सरस्वती प्रेस, कोलकत्ता से मतपत्रों का मुद्रण विभाग एवं प्रेस की सहमति से निर्धारित दर पर कराया गया था। उस दर के अनुरूप पैक्स के मतपत्रों के लिए मुद्रण दर की तालिका एनेक्सचर-1 पर देखी जा सकती है। अगर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चयनित प्रेस उक्त दर पर मतपत्रों के मुद्रण के लिए सहमत हो जाएं, तो एनेक्सचर-1 पर दिए गए दर के अनुसार मतपत्रों का मुद्रण कराया जाएगा। अगर उपर्युक्त दर पर प्रेस मतपत्रों के मुद्रण हेतु सहमत न हो, तो जिला दण्डाधिकारी निविदा आदि की प्रक्रिया पूरी करते हुए मुद्रण दर का निर्धारण कर, मतपत्रों का मुद्रण सुनिश्चित कराएंगे।

उपर्युक्त स्तर के प्रेसों का चयन कर लेने के पश्चात् जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित प्रेस मालिक के साथ उपर्युक्त शर्तों एवं **एनेक्सचर-1** पर दी गई विशिष्टि एवं दर के अनुसार मतपत्रों का मुद्रण करने के संबंध में एकरारनामा करेंगे।
- (3) पूरे मुद्रण काल की अवधि में प्रेस में चौबीसों घंटे दण्डाधिकारी एवं आरक्षी पदाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे। प्रेस के स्टाफ एवं कर्मियों का पहचान पत्र निर्गत रहेगा। मुद्रण कार्य से संबंधित कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी भी कर्मियों को प्रेस के अन्दर आने की इजाजत नहीं होगी।

- (4) अगर किसी जिले में उपर्युक्त सुविधायुक्त प्रेस उपलब्ध नहीं हो, तब मुद्रण का कार्य किसी अन्य जिले में अवस्थित प्रेस में, जहाँ वहाँ के जिला दण्डाधिकारी अपने जिले से संबंधित मतपत्रों का मुद्रण करा रहे हैं, कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित जिला दण्डाधिकारी उनके मुद्रण कार्य हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करायेंगे।
- (5) सभी तरह के पदों के लिए मतपत्र अभ्यर्थियों के नाम एवं उन्हें निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आवंटित चुनाव चिह्न के साथ मुद्रित किये जाएंगे। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा तैयार एवं अनुमोदित प्रारूप मतपत्र (प्रपत्र-5 के आधार पर) जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कर्णिकित प्रेस को दिया जाएगा। प्रूफ रीडिंग एवं अंतिम अनुमोदन की जिम्मेवारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी की होगी। मतपत्रों के मुद्रण के दौरान या तो वह स्वयं प्रेस में उपलब्ध रहेगा या इस कार्य हेतु किसी उपयुक्त स्टाफ को प्रतिनियुक्त करेगा।
- (6) मतपत्रों का मुद्रण उपलब्धता के अनुसार 60-65 जीएसएम गुणवत्ता वाले सफेद कागज पर प्रत्येक पद के लिए विहित रंग में किया जाएगा। **अध्यक्ष पद** के लिए सफेद कागज पर **लाल रंग** से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न, शेडेड पोरशन एवं अन्य प्रविष्टियाँ मुद्रित की जाएंगी। **अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद** के लिए सफेद कागज पर **नीला रंग** से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न, शेडेड पोरशन एवं अन्य प्रविष्टियाँ मुद्रित की जाएंगी। **पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद** के लिए सफेद कागज पर **हरा रंग** से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न, शेडेड पोरशन एवं अन्य प्रविष्टियाँ मुद्रित की जाएंगी। **अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद** के लिए सफेद कागज पर **काला रंग** से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न, शेडेड पोरशन एवं अन्य प्रविष्टियाँ मुद्रित की जाएंगी। **महिला कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद** के लिए सफेद कागज पर **कथई रंग** से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न, शेडेड पोरशन एवं अन्य प्रविष्टियाँ मुद्रित की जाएंगी। **सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद** के लिए सफेद कागज पर **नारंगी रंग** से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न, शेडेड पोरशन एवं अन्य प्रविष्टियाँ मुद्रित की जाएंगी।

2. मतपत्र की विशिष्टियाँ निम्नवत् होंगी-

मतपत्र का प्रतिपर्ण

सिंगल स्तंभ वाले मतपत्र के प्रतिपर्ण की चौड़ाई 2.5 इंच एवं गहराई 2.5 इंच होगी और उसके ऊपर स्टीच के लिए 1/2 इंच जगह रखी जाएगी। डबल स्तंभ वाले मतपत्र के प्रतिपर्ण की चौड़ाई 5.5-6 इंच होगी। गहराई एवं अन्य प्रविष्टियाँ वैसी ही रहेंगी जो सिंगल स्तंभ वाले मतपत्र के प्रतिपर्ण के लिए निर्धारित है।

प्रतिपर्ण में सबसे ऊपर बिहार पैक्स निर्वाचन, 2009 एवं जिस पद हेतु मतपत्र होगा, उसका नाम अंकित रहेगा, यथा अध्यक्ष/अनुसूचित जाति-जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद आदि। उसके नीचे बायें से दायें निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रहेगी - जिला-....., प्रखंड....., पैक्स.....

इसके नीचे बायीं ओर मतदाता का अनुक्रमांक देकर उसके बाद डॉट-डॉट रहेगा जिसपर मतदाता सूची में **मतदाता का अनुक्रमांक** अंकित किया जाएगा। इसके नीचे बायीं ओर ही **मतपत्र का क्रमांक** मुद्रित रहेगा। प्रत्येक पद के मतपत्र का क्रमांक प्राधिकार द्वारा निर्धारित सीरिज में लगातार अंकित किया जाएगा।

प्रतिपर्ण के नीचे दायीं ओर मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अंकित रहेगा और उसके सामने स्थान खाली रहेगा।

1/6 इंच चौड़ाई का रेखाओं का एक छिद्रित (perforated) ब्लॉक पद के लिए निर्धारित रंग में प्रतिपर्ण के नीचे इसे मतपत्र से अलग करने हेतु खींचा जाएगा। यहीं से मतपत्र फाड़कर मतदाता को दिया जाएगा।

मतपत्र

- (1) सिंगल स्तंभ वाले मतपत्र की चौड़ाई 2.5 से 3 इंच होगी। डबल कॉलम वाले मतपत्रों की चौड़ाई 5.5-6 इंच होगी। छिद्रित सीधी रेखा (perforated straight line) के नीचे भी 1/6 इंच चौड़ाई का रेखाओं का एक ब्लॉक खींचा रहेगा। मतपत्र के फ्रंट पेज पर पद का नाम/जिला का नाम/प्रखंड का नाम/पैक्स का नाम अंकित रहेगा।
 - (2) एक स्तंभ में अधिकतम 9 अभ्यर्थियों का मुद्रण किया जाएगा। 9 से अधिक अभ्यर्थी होने पर डबल कॉलम में मतपत्रों का मुद्रण किया जाएगा। 20 अभ्यर्थी के होने तक डबल कॉलम में एवं इससे अधिक होने पर ट्रिपल कॉलम में मतपत्रों का मुद्रण किया जाएगा।
 - (3) 1/3-1/2 इंच की विभाजक रेखा (dividing line) मतपत्र के बीच में होगी।
 - (4) अभ्यर्थी का नाम एक पैनल में मतपत्र की बायीं ओर एवं उसका चुनाव चिह्न दाहिनी ओर अंकित रहेगा।
 - (5) डबल कॉलम में जितने अभ्यर्थी रहेंगे, उसका आधा मतपत्र की एक ओर, एवं आधा दूसरी ओर रखा जाएगा। विषम संख्या (odd number) में अभ्यर्थी होने पर एक अभ्यर्थी के खाली स्थान को पद विशेष के मतपत्र के लिए निर्धारित रंग से शेडेड कर दिया जाएगा।
 - (6) प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए आवंटित जगह की चौड़ाई 1 इंच होगी तथा लम्बाई 2.5-3 इंच होगी।
 - (7) दो अभ्यर्थियों के बीच 3/8 इंच चौड़ाई की एक गहरी विभाजक शेडेड रेखा पद के लिए निर्धारित रंग में रहेगी।
 - (8) दो अभ्यर्थियों से संबंधित मतपत्र में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे 3/8 इंच चौड़ाई की शेडेड रेखा खींची रहेगी एवं इसी शेडेड रेखा में बायीं ओर मतपत्र का क्रमांक अंकित किया जाएगा। इस शेडेड रेखा के नीचे मतपत्र के अंत में 1/6 इंच चौड़ाई का बॉर्डर पद के लिए निर्धारित रंग में रखा जाएगा।
 - (9) सभी तरह के मतपत्र के अंत में 1/6 इंच चौड़ाई का पद के लिए निर्धारित रंग का बॉर्डर रहेगा।
 - (10) किसी भी चुनाव चिह्न का आकार 1.5 इंच X 1 इंच से अधिक नहीं होगा। **चुनाव चिह्न की सीन्डी० प्राधिकार से प्राप्त की जा सकती है।**
 - (11) मतपत्र का जो क्रमांक प्रतिपत्र में अंकित है, उसे पुनः दूसरे और तीसरे अभ्यर्थी के बीच में मतपत्र पर अंकित किया जाएगा।
 - (12) मतपत्रों का बंडल 50-50 का रहेगा। इसी प्रकार से सभी मतपत्र स्टीच किये जाएंगे।
3. अनुरोध है कि मतपत्रों का मुद्रण उक्त परिकल्प के अनुसार ही कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०- यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह०/-

(एन० एस० माधवन)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 387

/पटना, दिनांक 21 मई, 2009

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डल आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

एनेक्सचर-1

पंचायत आम चुनाव, 2006 के समय बिहार सरकार द्वारा सरस्वती प्रेस, कोलकत्ता से पंचायत के 6 पदों से संबंधित मुद्रण दर के आधार पर पैक्स चुनाव के लिए मतपत्रों की मुद्रण दर तालिका-

पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर प्रति मतपत्र की दर				
	2, 3, 4 अभ्यर्थी	5, 6 अभ्यर्थी	7, 8, 9 अभ्यर्थी	10 से 18 अभ्यर्थी	18 से अधिक अभ्यर्थी
अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य	50 (पचास)पैसा	60 (साठ) पैसा	55 (पचपन) पैसा	15 (पंद्रह) पैसा	55 (पचपन) पैसा
महिला कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य	50 (पचास)पैसा	60 (साठ) पैसा	55 (पचपन) पैसा	15 (पंद्रह) पैसा	55 (पचपन) पैसा
पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य	50 (पचास)पैसा	60 (साठ) पैसा	55 (पचपन) पैसा	15 (पंद्रह) पैसा	55 (पचपन) पैसा
अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य	50 (पचास)पैसा	60 (साठ) पैसा	55 (पचपन) पैसा	15 (पंद्रह) पैसा	55 (पचपन) पैसा
सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य	50 (पचास)पैसा	60 (साठ) पैसा	55 (पचपन) पैसा	15 (पंद्रह) पैसा	55 (पचपन) पैसा
अध्यक्ष	30 (तीस) पैसा	35 (पैंतीस) पैसा	45 (पैंतालीस)पैसा	30 (तीस) पैसा	50 (पचास) पैसा

नोट : उपर्युक्त दर में कागज का मूल्य सम्मिलित नहीं है। कागज का क्रय यथासंभव मेसर्स हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड से किया जाना चाहिए। परन्तु यदि समय पर कागज उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में एक-ग्रेड के मिल से कागज उपलब्ध कर मिल के दर पर ही चार्ज किया जाएगा।